मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग

क्रमांक : एफ-58/15/2017/19/यो 5601 भोपाल, दिनांक 30/10/2017

प्रति,

1. प्रमुख अभियंता,
   लोक निर्माण विभाग, भोपाल

2. परियोजना संचालक,
   पी.आई.यू., लोक निर्माण विभाग, भोपाल

3. समस्त मुख्य अभियंता,
   लोक निर्माण विभाग, ...

4. समस्त अतिरिक्त परियोजना संचालक,
   पी.आई.यू. लो.नि.वि. ....

विषयः— जी.एस.टी. लागू होने के बाद ठेकेदारों के रनिंग देयकों में से कटौती बाबत् ।

दिनांक 24.10.2017 को मा0 मंत्रीजी द्वारा की गई विभागीय कार्यो की समीक्षा के दौरान यह तथ्य सामने आया कि दिनांक 01.07.2017 से जी.एस.टी. लागू होने के उपरान्त कई कार्यपालन यंत्रियों द्वारा ठेकेदारों के रनिंग देयकों में से वेट टैक्स अथवा जी.एस.टी. या दोनों के नाम से राशि की कटौती की जाकर विविध डिपाजिट मद में रखी जा रही है ।

इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि रनिंग देयकों में से वेट अथवा जी.एस.टी. के मद में कोई राशि रोकी न जाये एवं जी.एस.टी. लागू होने के बाद के देयकों में से यदि कोई राशि रोकी गई हो तो उसे यथाशीघ्र रिलीज कर दिया जाये ।

उपरोक्त निर्देशों का पालन कड़ाई से किया जाये ।

SE(G)
CE(P)
03/11/2017
06/11/17
website upload

C. Prakash 30.10.2017
(चन्द्र प्रकाश अग्रवाल)
सचिव,
लोक निर्माण विभाग

पृ0 क्रमांक : एफ-58/15/2017/19/यो/5602 भोपाल, दिनांक 30/10/2017

प्रतिलिपिः—
1. समस्त अधीक्षण यंत्री, लोक निर्माण विभाग, मण्डल कार्यालय, मध्यप्रदेश.
2. समस्त संयुक्त परियोजना संचालक, पी.आई.यू. लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश
3. समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग, मध्यप्रदेश
4. समस्त संभागीय परियोजना यंत्री, पी.आई.यू., लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश

आ. क्र. 255758
जावक दिनांक 6/11/17

C. Prakash 30.10.2017
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक निर्माण विभाग